



राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम

परिवहन मार्ग, मुख्यालय, जयपुर, 302001

फोन नं. 0141-2373043/एक्स. 240, ईमेल आईडी. rsrtc.dop@gmail.com

क्रमांक-एफ-348-I/मु./का./प्र.सु./2025/ 356

दिनांक:- 16/5/2025

कार्यालय-आदेश

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 314 दिनांक 10.03.2025 द्वारा निगम के प्रचलित प्रशासनिक शक्तियों (Schedule of Power) का पुनर्निर्धारण किया जाकर नवीन प्रशासनिक शक्तियां (Schedule of Power) जारी की गई है। नवीन प्रशासनिक शक्तियों में मुख्य उत्पादन प्रबन्धक/मुख्य प्रबन्धक को पूर्व में घोषित नियुक्ति अधिकारी की शक्तियां समाप्त कर दी गई है तथा प्रशासनिक शक्तियों के बिन्दु संख्या 3 के अन्तर्गत पे मैट्रिक्स लेवल-8 (ग्रेड पे 2800) तक के पदों पर कार्यरत सेवा विनियमों से शासित कार्मिकों को राजस्थान सिविल सेवाएँ (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 17 के तहत अनुशासनात्मक कार्यवाही नोटिस जारी करने एवं स्थाई आदेशों से शासित कार्मिकों के लिये लघु प्रकृति के दुराचरणों हेतु अनुशासनिक अधिकारी की शक्तियां मुख्य उत्पादन प्रबन्धक/मुख्य प्रबन्धक को प्रदत्त की गई है।

मुख्य उत्पादन प्रबन्धक/मुख्य प्रबन्धक के अधीन कार्यरत कार्मिकों में से पे मैट्रिक्स लेवल-8 तक के पदों के गंभीर प्रकृति के दुराचरणों हेतु और लेवल-8 से ऊपर के पदों में सभी प्रकार की अनियमितताएं/दुराचरण हेतु इकाई प्रभारी प्रारूप आरोप पत्र मय सम्बन्धित दस्तावेज (जरिये ई-मेल softcopy MS Word file में व हार्ड कॉपी भी पत्र के साथ) सम्बन्धित विभागाध्यक्ष को भिजवाया जाना सुनिश्चित करेंगे और कार्मिक को सम्बन्धित विभागाध्यक्ष के द्वारा आरोप पत्र जारी करने की कार्यवाही की जावेगी।

कार्मिकों की सुविधा एवं प्रशासनिक सुलभता को ध्यान में रखते हुए मुख्य उत्पादन प्रबन्धक/मुख्य प्रबन्धक द्वारा संस्थापन सम्बन्धी कार्य [यथा कार्मिकों के कार्यमुक्ति आदेश पारित करना, ग्रेच्युटी प्रकरण का निस्तारण करना, कार्मिकों के अवकाश स्वीकृत करना (अधिकृत अवधि तक के अवकाश), प्रतियोगी परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति देना तथा विभागीय जांच हेतु जांच अधिकारी नियुक्त करना] यथावत सम्पादित किये जाते रहेंगे।

(पुरुषोत्तम शर्मा)
प्रबन्ध निदेशक

दिनांक:- 16/5/2025

क्रमांक-एफ-348-I/मु./का./प्र.सु./2025/ 356

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

1. निजी सचिव, अध्यक्ष महोदया/प्रबन्ध निदेशक महोदय, रारापपनि, मुख्यालय, जयपुर
2. समस्त विभागाध्यक्षरारापपनि, मुख्यालय जयपुर ।
3. महा प्रबन्धक/संयुक्त महा प्रबन्धकरारापपनि, मुख्यालय जयपुर ।
4. उप महा प्रबन्धक.....रारापपनि, मुख्यालय जयपुर ।
5. सचिव निगम, रारापपनि, मुख्यालय जयपुर ।
6. कार्यकारी प्रबन्धकरारापपनि, मुख्यालय जयपुर ।
7. जोनल मैनेजर.....रारापपनि, मुख्यालय जयपुर ।
8. लेखाधिकारी/सहायक लेखाधिकारी.....रारापपनि, मुख्यालय जयपुर ।
9. मुख्य उत्पादन प्रबन्धक/मुख्य प्रबन्धक, रारापपनि
10. प्रशासनिक अधिकारीरारापपनि, मुख्यालय जयपुर ।
11. आदेश पत्रावली ।

(चाँद मल वर्मा) •
कार्यकारी निदेशक(प्रशासन)